

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम० के० सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2264-एक/2014 - विरुद्ध आदेश
दिनांक 28-8-2014 पारित द्वारा - अनुविभागीय अधिकारी,
श्योपुर जिला श्योपुर - प्रकरण क्रमांक 01/2014-15/170-ख

श्रीमती रंजना पत्नि अजमेर सिंह
निवासी खिसल पट्टी, चंबल कालोनी
श्योपुर जिला श्योपुर मध्य प्रदेश
विरुद्ध

---आवेदक

श्रीमती भवरी वेवा अर्जुन निवासी
सेमल्या हवेली, तहसील व जिला श्योपुर

--अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी०के० शुक्ला)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)


आ दे श

(आज दिनांक २० नवम्बर, 2015 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर जिला
श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/2014-15/170-ख में पारित
आदेश दिनांक 28-8-2014 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व
संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोश यह है कि अनावेदक ने अनुविभागीय
अधिकारी श्योपुर को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की
धारा 170 ख के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वह
अनुसूचित जनजाति की है उसके पति स्व. अर्जुन के नाम ग्राम
सेमल्या हवेली में भूदान भूमि सर्वे क्रमांक 388/1 रकबा 8
वीघा है इस भूमि को रंजना पत्नि अजमेरसिंह यादव ने अपने
को आदिवासी लिखवा कर भूमि का अंतरण अपने नाम करवा

for



लिया, इसलिये भूमि स्वर्गीय अर्जुन के वारिसान के नाम की जावे। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 01/2014-15/170-ख पंजीबद्ध किया तथा अंतरिम आदेश दिनांक 28-8-2014 से प्रकरण सुनवाई में लिया। इसी अंतरिम आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।


4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि स्व. अर्जुन के नाम ग्राम सेमल्या हवेली में भूदान भूमि सर्वे क्रमांक 388/1 रकबा 8 बीघा थी जिसे स्वर्गीय अर्जुन ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23-6-2004 से आवेदक के हित में विक्रय किया है जिस पर से आवेदक का नामांतरण भी हो चुका है। प्रकरण में अनावेदक की मूल आपत्ति यह है कि क्रेता आवेदक जाति की यादव है जिसने आदिवासी बनकर कपटपूर्वक अंतरण कराया है क्योंकि आवेदक का पति यादव जाति का है। आवेदक के अभिभाषक ने पुष्टिकरण में श्रीमती रंजना पत्नि अजमेर सिंह के हित में तहसीलदार अटेर जिला भिण्ड द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र क्रमांक 289 दिनांक 24-7-88 प्रस्तुत किया है कि वह जाति की गौड़ होकर आदिवासी जाति की महिला है। यदि आदिवासी महिला का विवाह सामान्य वर्ग या पिछड़ वर्ग यादव जाति के व्यक्ति से होता है जाति वैश परम्परा पर आधारित रक्त के आधार पर मानी जाती है ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि आवेदक जाति की गौड़ आदिवासी है तभी पूर्ण छानवीन एवं जांच करने के उपरांत कलेक्टर जिला श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 20/2003-04 अ 21 में पारित आदेश दिनांक 15-6-2004

f-1



से अर्जुन पुत्र देवचंद सहर निवासी ग्राम समेलदा हवेली को ग्राम सेमल्या हवेली की भूदान भूमि सर्वे क्रमांक 388/1 रकबा 8 के विक्रय की अनुमति प्रदान की है। विचार योग्य है कि जब कलेक्टर जिला श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 20/2003-04 अ 21 में पारित आदेश दिनांक 15-6-2004 से अनावेदिका के पति को भूमि विक्रय की अनुमति देने के बाद आवेदक के हित में भूमि का अंतरण एवं अंतरण पर से नामान्तरण हुआ है क्या कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 20/2003-04 अ 21 में पारित आदेश दिनांक 15-6-2004 की जाँच करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी सक्षम हैं। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/2014-15/170-ख पंजीबद्ध कर अंतरिम आदेश दिनांक 28-8-2014 से लिया गया निर्णय अधिकार-विहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/2014-15/170-ख में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28-8-2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं निगरानी स्वीकार की जाती है।


(एम.के.सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर